

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई 2021—श्रावण 5, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2021

आदेश

क्र. एफ 4-13-2021-उन्तीस-1.—चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि दालों एवं खाद्य तेल के उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है. अतएव आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) की धारा 3, 3(1अ) एवं सहपठित 5 एवं केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून 1978 एवं भारत सरकार के एस.ओ. 2871 (अ) दिनांक 19 जुलाई, 2021 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—(एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आवश्यक वस्तु व्यापारी (नियंत्रण) आदेश, 2021 है.

(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(तीन) यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “व्यापारी” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जिसमें “थोक विक्रेता,” “फुटकर विक्रेता,” “कमीशन अभिकर्ता,” “प्रसंस्करणकर्ता,” “आयातक” सम्मिलित है, जो एक समय में अनुसूचित वस्तुओं के व्यापारी के रूप में इस आदेश की अनुसूची—“एक” में उल्लिखित अनुसूचित वस्तुओं का क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु संग्रह करता है या करने का आशय रखता है, जिसमें उसके द्वारा वैयक्तिक खेती द्वारा उत्पादित अनुसूचित वस्तुओं का स्टॉक सम्मिलित नहीं है.

- (ख) “कमीशन अभिकर्ता” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कमीशन पर विक्रय के लिए क्रय, विक्रय तथा संग्रहण का कारोबार करता हो।
- (ग) “प्रसंस्करणकर्ता” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो अनुसूची—“एक” में उल्लेखित अनुसूचित वस्तुओं का प्रसंस्करणकर्ता हो।
- (घ) “आयातक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो अनुसूची—“एक” में उल्लेखित अनुसूचित वस्तुओं का आयात करता हो।
- (ङ) “मण्डी” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में विनिर्दिष्ट मण्डी।
- (च) “अनुसूचित वस्तुएं” से अभिप्रेत है इस आदेश की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट वस्तुएं।
- (छ) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार।
- (ज) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इस आदेश से संलग्न प्ररूप।

3. अनुसूचित वस्तुओं के क्रय, विक्रय एवं विक्रय हेतु भंडारण पर निर्बन्धन.—(क) प्रत्येक व्यापारी जिसके द्वारा अनुसूची—“एक” में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का क्रय, विक्रय के लिए संग्रह किया जाता है वह क्रय, विक्रय एवं संग्रहण के सुसंगत लेखे, जिसमें नियत प्ररूप “अ” में दैनिक स्टॉक पंजी, क्रय विक्रय के पक्के बीजक एवं मण्डी की रसीद शामिल है, रखेगा एवं मांगे जाने पर निरीक्षण के समय प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रत्येक व्यापारी आवश्यक वस्तुओं का संव्यवहार भौतिक रूप से करेगा तथा ऐसी सट्टे वाली रीति से नहीं करेगा जिससे बाजार में उसकी सुगम उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

(ग) प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार के परिसर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य सहज दृश्य प्रमुख स्थान पर विक्रय के लिए रखी गई अनुसूचित वस्तुओं की मूल्य सूची एवं स्टॉक का बोर्ड देवनागरी लिपि में सुपाठ्य रूप से लिखी हुई प्रदर्शित करेगा जिसमें प्रत्येक दिन का विभिन्न किस्म की अनुसूचित वस्तुओं का मूल्य और प्रारंभिक स्टॉक को पृथक् रूप से उपदर्शित करेगा।

(घ) प्रत्येक व्यापारी विक्रय हेतु संग्रहित अनुसूचित वस्तुओं को विक्रय से नहीं रोकेगा। परन्तु कोविड-19 के फलस्वरूप लॉगडाउन की स्थिति में संस्थान के बंद रहने पर इस प्रावधान से छूट रहेगी।

(ङ) प्रत्येक थोक विक्रेता, कमीशन अभिकर्ता, प्रसंस्करणकर्ता, आयातक नियत प्ररूप ‘ब’ में माह की 15 तारीख को समाप्त होने वाले पक्ष की उसी माह की 20 तारीख तक तथा मासांत को समाप्त होने वाले पक्ष की आगामी माह की 5 तारीख तक विवरण कलेक्टर को भेजना सुनिश्चित करेगा तथा विवरणी की प्राप्ति रखेगा।

(च) प्रत्येक व्यापारी संबंधित विधिक इकाइयों द्वारा धारित स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल fcainfoweb.nic.in पर करेगा।

4. अधिकतम स्टॉक सीमा.—कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति आवश्यक वस्तु के संबंध में भारत सरकार द्वारा नियत की गई समयावधि तक इस आदेश की अनुसूची—“दो” में निर्धारित की गई अधिकतम स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक का संग्रहण नहीं करेगा:

परन्तु भारत सरकार द्वारा नियत समयावधि अथवा अधिकतम स्टॉक सीमा में संशोधन किए जाने पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के दिनांक से राज्य में प्रभावशील होगी।

5. आदेश का उल्लंघन.—कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति, इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

6. प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण आदि की शक्तियां.—(एक) इस आदेश के प्रावधानों एवं उपबंधों का सम्यक् रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त/संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य की सीमा के भीतर तथा अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश द्वारा स्वयं राज्य की सीमा के भीतर एवं कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिले की सीमा के भीतर ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जैसी कि वह उचित समझे के साथ:—

- (क) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान के जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश अथवा उसके उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से ऐसे उल्लंघन से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाली पुस्तकें, लेखे या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (ख) किसी स्थान, परिसर, यान या जलयान में जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा।
- (ग) ऐसे उल्लंघनों से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाले रजिस्टर बिल बुक या किसी दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहित करवा सकेगा।
- (घ) अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक को तथा इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उक्त अनुसूचित वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे समस्त उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिग्रहण किए गए अनुसूचित वस्तुओं के स्टॉक तथा पशुओं, यानों, जलयानों या अन्य वाहनों का सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हों।

(दो) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंध जो तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित हैं यथासंभव इस खण्ड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।

7. छूट.—राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या निरस्त कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

अनुसूची—एक

अनुसूचित वस्तुएँ

[कंडिका 2 (च) देखिए]

दालें (मूंग तथा डालर चना को छोड़कर) साबुत या दली हुई (छिलका सहित अथवा छिलका रहित)

अनुसूची—“दो”

(कंडिका 4 देखिए)

1. व्यापारी के लिए दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए दालों (मूंग एवं डालर चना को छोड़कर) अधिकतम स्टॉक सीमा निम्नानुसार होगी:—

- ❖ थोक विक्रेता : 500 मीट्रिक टन (बशर्ते कि किसी एक किस्म की मात्रा 200 मे. टन से अधिक नहीं होनी चाहिए).
- ❖ खुदरा विक्रेता : 5 मीट्रिक टन
- ❖ मिलर : स्टॉक सीमा विगत 6 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 50% इनमें से जो अधिक हो, होगी.

2. उपर्युक्त संबंधित विधिक इकाइयां इसकी घोषणा उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर करेगी और यदि उनके द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाएंगी.

3. स्टॉक सीमा दालों के आयात पर लागू नहीं होगी;

बशर्ते कि आयातक उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल (fcainfoweb.nic.in) पर दालों के स्टॉक की घोषणा करेंगे.

प्रारूप—‘अ’

दैनिक स्टॉक पंजी का प्रारूप

(मात्रा क्विंटल में)

दिनांक	प्रारंभिक स्टॉक	आवक	योग	विक्रय की गई मात्रा	शेष स्टॉक	अंतिम शेष स्टॉक	विशेष टीप
--------	--------------------	-----	-----	------------------------	-----------	--------------------	-----------

हस्ताक्षर

फर्म का नाम सील मुद्रा दिनांक सहित.

प्रारूप—'ब'

विवरण का प्रारूप

[कंडिका 3 (ड) देखिए]

पाक्षिक विवरणी

माह वर्ष

थोक व्यापारी/कमीशन अभिकर्ता/प्रसंस्करणकर्ता/आयातक का नाम एवं कारोबार स्थल का पता

..... टिन नं. मंडी लायसेंस नं.

मंडी लायसेंस में स्वीकृत गोदामों के पते

माह की प्रथम तारीख का प्रारंभिक स्टॉक

माह में 01 से 15/दिनांक 16 से मासांत तक आवक जो लागू हो उसे चिन्हित करें.

दिनांक	आवश्यक वस्तु	क्रय की गयी मात्रा	स्रोत जिससे क्रय की गई/मिलिंग से प्राप्त, बीजक क्रमांक सहित
1 से 15 तारीख तक/ दिनांक 16 से मासान्त तक	1. दाल साबुत		
	2. दाल छिलका सहित		
	3. दाल छिलका रहित		

माह में 1 से 15/दिनांक 16 से मासांत तक विक्रय—

दिनांक	आवश्यक वस्तु	विक्रय की गयी मात्रा	फर्म जिसको विक्रय की गई/मिलिंग से प्राप्त, बीजक क्रमांक सहित
1 से 15 तारीख तक/ दिनांक 16 से मासान्त तक	1. दाल साबुत		
	2. दाल छिलका सहित		
	3. दाल छिलका रहित		

दिनांक 15/मासांत का अंतिम स्टॉक

आवश्यक वस्तु	अंतिम स्टॉक की मात्रा क्विंटल/किलोलीटर में
1. दाल साबुत	
2. दाल छिलका सहित	
3. दाल छिलका रहित	

नोट.—अनुसूची के अनुसार दाल के प्रकारवार विवरण देवें.

हस्ताक्षर
फर्म का नाम सील मुद्रा सहित.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2021

क्र. एफ 4-13-2021-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ 4-13-2021-उन्तीस-1, दिनांक 27 जुलाई, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, dated 27th July, 2021

ORDER

No. F 4-13-2021-XXIX-1—WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so to ensure availability of pulses and edible oil at reasonable prices. Therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 3, 3(1A) and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978 and Government of India's S.O. 2871 (A) dated 19th July, 2021, the State Government hereby makes the following order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(i) This order may be called the Madhya Pradesh Essential Commodities' Traders (Control) Order, 2021.

(ii) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(iii) This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In this order, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Trader" means a person or his representative including Whole seller, retailer, "commission agent", processor and importer who buys or intend to buy, sell or store the scheduled commodities at time referred to in schedule "A"; excluding the stock of scheduled commodities produced by him through individual farming;
- (b) "Commission agent" means a person or his representative who carries on the business of buying, selling and storing for sale on commission on behalf of any other person;
- (c) "Processor" means a person or his representative who is involved in processing of the scheduled commodities mentioned in Schedule "I";
- (d) "Importer" means such a person or his representative who imports the commodities mentioned in Schedule "I";
- (e) "Mandi" means the market specified in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973);
- (f) "Scheduled Commodities" means the commodities specified in Schedule-I of this Order;
- (g) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Form" means the Form appended to this Order.

3. Restrictions on purchase, sale and storage of scheduled commodities.—(a) Every 'trader' who stores the commodities mentioned in Schedule-"I" for, purchase and sale, shall maintain the relevant accounts of the purchase, sale and storage, the daily stock register, including invoices of purchase and sale and receipt in the prescribed Form 'A' and shall produce it on demand at the time of inspection.

(b) Every 'trader' shall trade in essential commodities physically and shall not deal in such speculative manner which adversely affects their easy availability in the market.

(c) Every 'trader', shall display at the entrance of the premises or at any conspicuous place, the price list and stock of scheduled commodities kept for sale, written in a legible manner in Devanagari script wherein he shall display separately the price and opening stock of different types of scheduled commodities for each day.

(d) Any 'trader', commodity shall not withhold from sale, the scheduled commodities stored for sale. But in the event of lockdown due to covid-19, there will be exemption from this provision if the premise is closed.

(e) Every 'Trader' will ensure to send the details to the Collector and keep receipt of the return in the prescribed Form 'B' by the 20th of the same month for the fortnight ending on the 15th of the month and the 5th of the following month of the fortnight ending on the month-end.

(f) Every Trader shall declare the stock maintain by concerned entities on the portal "fcainfoweb.nic.in" of department of consumer affairs of the Government of India.

4. Maximum Stock Limit.—Any trader, his agent or servant or any other person doing on his/her behalf shall not keep the stock more than the stock prescribed by Government of India for a fixed time in schedule-II:

Provided that the time limit fixed by GoI or the amendments in stock limit notified by GoI shall be effective in the state from the date of its publication in the official Gazette Government of India.

5. Contravention of order.—No trader or his agent or servant or any other person acting on his behalf shall contravene any of the provisions of this order.

6. Powers of entry/search and seizure etc.—(i) To ensure due compliance of the provisions of this order in the State, the Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary / Commissioner / Director of Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Madhya Pradesh by, himself or any officer authorized by him within entire state, Additional Director / Joint Director / Deputy Director / Assistant Director / Assistant Supply Officer / Junior Supply Officer of Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Madhya Pradesh by himself within entire state and the Collector, Additional Collector, Joint Collector, Deputy Collector, Tehsildar, District Supply Controller, District Supply Officer, Assistant Supply Officer, Junior Supply Officer, within their respective district with such assistance as required—

- (a) enter any place, premises, vehicle or vessel in respect of which he has reason to believe that a contravention of this order or the provision thereof has been or is being or is to be done may require from the owner, occupier or any other incharge person to submit the books, accounts or other records showing the transaction relating to such violation.
- (b) enter, inspect, search or open any place, premises, vehicle or vessel in respect of which he has reason to believe that contravention of any of the provisions of this Order has been violated or is being violated or is about to be violated.
- (c) may seize or cause to be seized the register bill book or any documents showing the transactions relating to such contraventions.
- (d) search, seize and remove the stock of scheduled commodities and animals, vehicles, vessels or other vehicles used for carrying the said scheduled commodities in contravention of the provisions of this order and thereupon shall take or cause to be taken any measures for its safe custody to ensure the production of the stock of scheduled commodities so seized and the animals, vehicles, vessels or other conveyances before the competent court until production is complete.

(ii) the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to searches and seizures shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this Section.

7. **Exemption.**—The State Government may, by general or special order, exempt any class of persons from all or any of the provisions of this order and may at any time suspend or cancel such exemption.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

SCHEDULE -I
Scheduled commodities
[See clause 2(f)]

Pulses (except moong and dollar chana) whole or processed (with skin or without skin).

SCHEDULE -II
Scheduled commodities
(See clause 4)

1. For traders for period till date 31st October, 2021, maximum stock limit for pulses (except moong and dollar chana) shall be following—
 - * Whole Sellers:-500 mts (with the condition that at a time the quantity of and one type of pulse does not exceed 200 mts)
 - * Retailer:— 5 mts.
 - * Millers-Stock limits shall not exceed last six month's production or fifty percent of installed annual capacity, whichever is higher.
2. With respect or above, individual entities shall declare the same on the portal of Department of Consumer Affairs (fcainfoweb.nic.in) and in case the stocks held by them is in excess of prescribed stock limit, they shall bring it in to the prescribed stock limit, within 30 days of issue of this notification.
3. Stock Limit shall not be applicable on import of pulses.

Provided that importers shall declare stocks of pulses on portal of Department of Consumer Affairs (fcainfoweb.nic. in).

Form -'A'
Format of Daily Stock Register

(Quantity in Quintal)

Date	Opening Stock	receipt	Total	Quantity Sold	Balance Stock	Closing Balance Stock	Remarks

Signature
Name of Firm with Seal and Date

Form B
Format of Return
 [See clause (e)]

Periodic Return

Month.....Year

Name and address of business place of the Whole Sale trader/ Commission Agent/ Processor/Importer

Tin No.,

Market License No.,.....

Address of the sanctioned godown in market license.....

Opening Stock on first day of the Month.....

Receipt from the First day of the Month to end of the month.....

(Quantity in Quintal)

Date	Essential Commodity	Purchased quantity	The source wherefrom the purchase made/received from Milling, including the Bill No.,
From 1 st day to the 15 th of the month/From 16 th day to the end of the month.	1. pulse whole		
	2. Pulse with skin		
	3. Pulse without skin		

Sale from 1st day to 15th day of the month/From 16th day to the end of the month.

(Quantity in Quintal)

Date	Essential Commodity	purchased quantity	The Firm to whom the sale has been made /received from Milling, including the Bill No.
From 1 st day to the 15 th of the month/From 16 th day to the end of the month.	1. pulse whole		
	2. Pulse with skin		
	3. Pulse without skin		

Last Stock on 15th / end of the month

Essential Commodity	Quantity of the Last Stock in quintal
1-Pulse whole	
2-Pulse without skin	
3-Pulse with skin	

Note:—Submit details of different type of pulses as per annexure.

Signature
Name of Firm with Seal and Date